सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2015/00093

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0
निगरानी प्रकरण सं0 04/2015

1. बंशीधर पुत्र कासीराम जाति जाट निवासी लालगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर।
2. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत लालगढ।
3. सरवती देवी पत्नी काशीराम
4. कौशल्य पुत्री काशीराम
5. कैलाश पत्नी राजेन्द्र कुमार
6. अक्षय कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार

} जाति जाट निवासी लालगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थित :

1. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता निगरानीकर्ता

:: आदेश :: **दिनांक :– 20.02.2020**

प्रस्तुत निगरानी का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानी आदेश विधि विरूद्व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों एवं बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। ग्राम पंचायत लालगढ द्वारा भूखण्ड संख्या 656/1 व 656/4 प्रार्थी एवंम् अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के पिता/ससुर/दादा को दिनांक 02.06.1967 को प्रस्ताव संख्या 10 द्वारा आवंटित किया गया था जिसे आज दिनांक तक कभी निरस्त नहीं किया गया। उक्त भूखण्ड में प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 स्थाई रूप से निवास कर रहे है। पूर्ववृति ग्राम पंचायत ने प्रार्थी को भूखण्ड संख्या के/4 दिनांक 27.12.1999 को आवंटित किया गया था जिसे श्रीमान जी ने निगरानी के माध्यम से आदेश फरमा दिया जिसकी रिट याचिका संख्या 5415/2008 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में जैरकार है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण में Due Course विचाराधीन है। निगरानीधीन आदेश एक पक्षीय रूप से बिना कानूनी प्रकिया अपनाये आदेश पारित किया गया है। मूलतः ग्राम पंचायत को पंचायत सम्पत्तियों ,गलियों,गवाहड़ इत्यादि स्थानों पर ग्राम पंचायत के सचिव/सरपंच को बेदखली का अधिकार प्राप्त है और बेदखली से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा विहित प्रकिया (Due Process of low) की अनुपालना कर ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही आदेश प्राप्त किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीधे ही निगरानीधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पट्टा भूखण्ड के/4 तथा भूखण्ड संख्या 656/1 व 656/4 दो अलग–अलग भूखण्ड है। प्रार्थी द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर निर्माण कर अतिक्रमण नहीं किया गया है, बल्कि प्रार्थी को आवंटन शुदा भूखण्ड संख्या 656/1 व 656/4 में अपनी सीमा में ही निर्माण किया गया है। ग्राम पंचायत के चुनाव 2015 की रंजिशवंश अप्रार्थी संख्या 1 ने सीधे ही पूर्व आदेश का हवाला देकर नाजायज तंग परेशान किया जा रहा है जबकि पूर्व आदेश दिनांक 24.07.2008 वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन है जिसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 का निगरानीधीन आदेश स्पष्ट आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। प्रार्थी द्वारा किस गली आम में, गली आम के किस भू–भाग पर, कितने साईज में, कितने फुट पर अतिक्रमण किया गया है जिस पर बेदखली की कार्यवाही की जावे, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीधे ही बिना ग्राम पंचायत की अनुशंषा (Recomdation) के आधार पर पारित आदेश निरस्ती योग्य है। निगरानी प्रस्तुत करने के रोज अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 उपस्थित नहीं होने के कारण इन्हें औपचारिक पक्षकार बनाये गये है जबकि इनका हक प्रार्थी के साथ निहित है। लिहाजा निगरानीधीन आदेश दिनांक 23.02.2015 को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानी आदेश विधि विरूद्व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों एवं बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। ग्राम पंचायत लालगढ द्वारा भूखण्ड संख्या 656/1 व 656/4 प्रार्थी एवंम् अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के पिता/ससुर/दादा को दिनांक 02.06. 1967 को प्रस्ताव संख्या 10 द्वारा आवंटित किया गया था जिसे आज दिनांक तक कभी निरस्त नहीं किया गया। उक्त भूखण्ड में प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 स्थाई रूप से निवास कर रहे है। पूर्ववृति ग्राम पंचायत ने प्रार्थी को भूखण्ड संख्या के/4 दिनांक 27.12.1999 को आवंटित किया गया था जिसे श्रीमान जी ने निगरानी के माध्यम से आदेश फरमा दिया जिसकी रिट याचिका संख्या 5415/2008 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में जैरकार है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण में Due Course विचाराधीन है। निगरानीधीन आदेश एक पक्षीय रूप से बिना कानूनी प्रकिया अपनाये आदेश पारित किया गया है। मूलतः ग्राम पंचायत को पंचायत सम्पत्तियों ,गलियों,गवाहड़ इत्यादि स्थानों पर ग्राम पंचायत के सचिव/सरपंच को बेदखली का अधिकार प्राप्त है और बेदखली से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा विहित प्रकिया (Due Process of low) की अनुपोलना कर ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही आदेश प्राप्त किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीधे ही निगरानीधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। पट्टा भूखण्ड के/4 तथा भूखण्ड संख्या 656/1 व 656/4 दो अलग–अलग भूखण्ड है। प्रार्थी द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर निर्माण कर अतिक्रमण नहीं किया गया है, बल्कि प्रार्थी को आवंटन शुदा भूखण्ड संख्या 656/1 व 656/4

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

में अपनी सीमा में ही निर्माण किया गया है। लिहाजा निगरानीधीन आदेश दिनांक 23.02.2015 को निरस्त फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर द्वारा जारी नोटिस कमांक 223 दिनांक 23.02.2015 जो जारी किया गया है वह विधिसम्मत् है क्योंकि न्यायालय प्रकरण संख्या 71/2007 निर्णय दिनांक 24.07.2008 द्वारा निगरानीकर्ता के पिता काशीराम पुत्र श्योकरण निवासी लालगढजाटान को आवंटित 12X110 फुट सार्वजनिक गली का पट्टा जो ग्राम पंचायत लालगढजाटान द्वारा 27.12.1999 को जारी किया गया को निरस्त किया जा चुका है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर का आदेश दिनांक 23.02.2015 बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत लालगढजाटान को भेजा जावें।

आदेश आज दिनांक 20.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. गुंजन सोनी)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर